अमन समीर, भा0प्र0से0
उप विकास आयुक्त
–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, पूर्णियाँ (बिहार)

बिहार सरकार

Aman Samir, I.A.S
Deputy Development Commissioner
-Cum-
Chief executive officer
Zila Parishad, Purnea (Bihar)

मोबाईल नं0–9431818379 दूरभाष–06454–242229 / E-mail ID- ddc-purnea-bih@nic.in

ज्ञापांक : 958 / जि0प0, दिनांक : 30.11.2019

–: सूचना :–

निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना का ज्ञापांक–1142, दिनांक–01.07.2019 एवं ज्ञापांक–1973, दिनांक–28.10.2019 के आलोक में छठा चारण माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन, 2019 की नियोजन प्रक्रिया निम्न कार्यक्रम के अनुसार होगा :–

01	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों का मिलान / जाँच	दिनांक–02.12.2019 से 05.12.2019 तक (समय–10.30 से 4.30 बजे तक) स्थान– जिला परिषद, पूर्णियाँ।
02	जिला परिषद द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	दिनांक–09.12.2019
03	नियोजन इकाई द्वारा मेधासूची का सार्वजनीकरण	दिनांक–10.12.2019
04	अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्र का संबंधित बोर्ड / विश्वविद्यालय से सत्यापन	दिनांक–28.12.2019
05	नियोजन इकाई द्वारा काउसिलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना	दिनांक–31.12.2019

संबंधित अभ्यर्थी जिनका नाम आपत्ति निराकरण के पश्चात् दिनांक–30.11.2019 को जिला परिषद, पूर्णियाँ के सूचना पट्ट एवं NIC पूर्णियाँ पर प्रकाशित है वे अपना निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति का दो–दो सेट एक फाईल फोल्डर के साथ निर्धारित तिथि–02.12.2019 से 05.12.2019 तक अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर प्रमाण–पत्रों का मिलान जाँच करवायेंगे। निर्धारित अवधि के बाद उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों का दावा रद्द हो जायेगा।

साथ लानेवाले प्रमाण–पत्रों एवं अन्य कागजातों की सूची :–

1. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक का प्रवेश प्रत्र, अंक पंत्र, मूल प्रमाण–पत्र एवं एवं STET का प्रवेश–पत्र एवं मूल प्रमाण–पत्र की छायाप्रति– 02 सेट में (स्व अभिप्रमाणित)।
2. अंतिम योग्यता वाले महाविद्यालय का परित्याग प्रमाण–पत्र (सी0एल0सी0)।
3. जाति, EWS, निवास, एवं विकलांगता प्रमाण–पत्र।
4. स्वतंत्रता सेनानी एवं वंशावली प्रमाण–पत्र।
5. दो पासपोट साईज रंगीन फोटो जिसमें अभ्यर्थी का नाम एवं जन्मतिथि अंकित हो।
6. आवेदन–पत्र एवं डाक का प्राप्ति रसीद।
7. अभ्यर्थी का फोटोयुक्त परिचय–पत्र–यथा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि।

नोट :–
1. STET का मूल प्रमाण–पत्र को नियोजन इकाई सहमति–सह– विद्यालय चयन के समय जमा ले लेगीं।
2. कॉउन्सिलिंग के दरम्यान अभ्यर्थियों से घोषणा पत्र लिया जायेगा कि वे किसी अन्य नियोजन इकाई में पूर्व से नियोजित नहीं है। साथ ही उनका शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता का प्रमाण–पत्र सही है। गलत सूचना देने पर कानूनी कार्रवाई के लिए नियोजन इकाई सक्षम होगा।

30/11/19

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, पूर्णियाँ

G-Letter-19-H-3